

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.1(8)लोसूअ/सान्याअवि/24/ 2195

जयपुर, दिनांक :- 14/3/2024

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम अपील का निस्तारण करने के लिए अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विभाग को प्राप्त होने वाली प्रथम अपीलों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.1(8)लोसूअ/सान्याअवि/24/ 2196-2202 जयपुर, दिनांक :- 14/3/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव अति० निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
4. निजी सचिव अति० निदेशक (एस.सी.एस.पी.), सान्याअवि, जयपुर।
5. निजी सचिव उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
6. लोक सूचना अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त.....।
7. आदेश पत्रावली।

जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी